तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.4.23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों के अधिवक्ताओं की मजिद बहस पुनः सुनी गयी। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 20.4.23 को पेश हो।	मायादेवी सोनादेवी
20.4.23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 C.P.C. को स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार करा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला–भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास हुक्मीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)
वाद संख्याः– 53 / 2022

अनवान

1–विजयकुमार पिता चुन्नीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल––––वादी

बनाम

1–संतोष पिता आनन्दीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2–केदारमल पिता आनन्दीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–आरती पुत्री आनन्दीलाल पत्नि अनिल कुमार जैसवाल निवासी कपासन जिला चितौड़गढ
4–कैलाशदेवी पत्नि आनन्दीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
5–बनवारीलाल पिता चुन्नीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल हाल नि0भीलवाड़ा
6–नरेशकुमार पिता चुन्नीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
7–गणेशलाल पिता चुन्नीलाल जैसवाल निवासी स्टेशन नगर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
8–माया पुत्री चुन्नीलाल पत्नि दिनेशकुमार जैसवाल निवासी भवानीमंडी जिला झालावाड़
9–सीता पुत्री चुन्नीलाल पत्नि अभयकुमार जैसवाल निवासी सावेर जिला उज्जैन(म0प्र0)

––––––प्रतिवादीगण

::वाद बाबत– खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::
(अन्तर्गत धारा 88 , 89, 92ए व 188 R.T.Act.)

–––0–––

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0

–––0–––

उपस्थितः– अधिवक्ता वादीगण – श्री एस0एल0वेद
प्रतिवादीगण :– श्री कमलेश मेहता (प्र0सं0 5 से 9)।

–––0–––

आदेश **दिनांक 20.04.2023**

1. यह कि प्रार्थीगण(प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 9) की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व पीएमसन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। जिसके तहत वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि हकसफा का कानून कृषि आराजीयात पर लागू नहीं होता है। वादी द्वारा [illegible] स्व0 चुन्नीलाल की पुत्रियों माया व सीता को उनका हक व अधिकार [illegible] का अनुतोष चाहा है जिसके लिए वादी अधिकृत नहीं है। इस [illegible] यह वाद [illegible] लॉ होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

2. प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी(वादी) के द्वारा जवाब पेश किया जिसमें निवेदन किया कि वादी ने वाद प्रीएमसन एक्ट के तहत पेश नहीं किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के हिन्दु संयुक्त कुटुम्ब की पैतृक सम्पत्ति होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का कितना–कितना अंश है का उल्लेख इस वाद में किया है। अंशधाक एक दूसरे की सहमति या स्वीकृति के अपने अंश को अंतरण किये जाने की अवस्था में प्रस्थापन करे। ऐसे अंतरित किये जाने के ए प्रस्थापित हित का अर्जित करने का अधिमानी अधिकार दूसरे वारिसों को प्राप्त होगा। इस अधिमानी अधिकार हेतु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 02.09.2022 को वादी के सिवाय अन्य किसी को अंतरित कर देने की चेतावनी के कारण यह वाद प्रस्तुत किया है। अधिमानी अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 से पैतृक सम्पत्ति के अंशधारकों को प्रदान किया गया है जो कृषि भूमि पर अधिमानी अधिकार लागू होता है। इस प्रकार विधि द्वारा वर्जित होना नहीं माना है।

3. वादी ने वादपत्र के पेरा संख्या .1 में चुन्नीलाल के वारिसों का विवरण दर्शाया है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/7 हिस्सा है एवं शेष अन्य वारिसों का भी सातवां हिस्सा प्रत्येक का है। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 281 में हिस्सा गलत वर्णित किया हुआ है। इसलिए वादी ने खाते में त्रुटीपूर्ण हिस्सा दर्ज होने से उसे विलोपित कर उसके स्थान पर वादी का सातवां व अन्य प्रतिवादीगण प्रत्येक का भी सातवां हिस्सा होने का अंकन करने बाबत सहकाश्तकार की घोषणा चाही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा अंश नहीं मानते हैं तो उसका खण्डन जवाबदावा में उठाने को स्वतंत्र है। अतः इस स्तर पर वादी का वाद खारीज योग्य नहीं है।

4. प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 8 माया व 9 सीता इस वाद में इफेक्टेड पार्टी नहीं है। प्रीएमसन एक्ट कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है। प्रीएमसन एक्ट हकसफा (Ownership) के लिए लागू है न कि खातेदारी अधिकारों के लिए। अतः वाद इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे। प्रार्थी ने अपने कथन की पुष्टि में निम्न विधिक उद्धरण प्रस्तुत किया है–

1–1980 WLN 212(DB) सुखदेव सिंह व अन्य बनाम सुखदेव सिंह व अन्य।

5. प्रार्थना पत्र की बहस में वकील अप्रार्थी(वादी) ने प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में सभी सह खातेदारों के हिस्से गलत अंकित है अर्थात स्व. चुन्नीलाल के वारिसान प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह वाद पेश किया है। जहां पर संयुक्त हिन्दू परिवार हो उनके सदस्यों के हितों के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 में स्पष्ट किया गया है। यदि प्रतिवादीगण का कोई आपत्ति है तो उसे अपने जवाबदावे के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 खारीज फरमाया जावे। अप्रार्थी(वादी) ने अपने कथन की पुष्टि में निम्न विधिक उद्धरण प्रस्तुत किया है–

1–S.C.Judgment 2019(2) RLW पेज 1733 नाथूराम बनाम संतोक सिंह (मृतक) के वारिसान व अन्य ।

6. हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा प्रार्थना पत्र में व प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों तथा वाद वर्णित तथ्यों के अध्योपान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम गुढा भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल संतोकपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

2074 से 2077 के खाता संख्या 281 में वर्णित आराजी नं. 470–471–473 आरती पुत्री आनंदीलाल 1/21 , केदार पिता आनंदीलाल 1/21, कैलाशदेवी पत्नि आनंदीलाल 1/21, गणेश पिता चुन्नीलाल 4/21, नरेशकुमार पिता चुन्नीलाल 4/21, बनवारीलाल पिता चुन्नीलाल 4/21, माया पुत्री चुन्नीलाल 1/42, विजयकुमार पिता चुन्नीलाल 4/21, संतोष पिता आनन्दीलाल 1/21, सीता पुत्री चुन्नीलाल 1/42 जाति कलाल सा0 स्टेशन माण्डल खातेदार दर्ज है।

7. वादी के द्वारा यह वाद राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा तथा एक सह खातेदार द्वारा अपने अंश का अंतरण स्वयं वादी को किए जाने हेतु प्रीएमसन एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। जैसाकि वाद के बिन्दु संख्या 03 में यह वर्णन किया कि प्रतिवादी माया व सीता का नाम चुन्नीलाल की मृत्यु के समय दर्ज होना चाहिए परन्तु उस समय दर्ज नहीं होकर कमलादेवी की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ जिससे राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से उसे दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि इस सम्बन्ध में स्वयं माया व सीता जो कि वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 08 व 09 है और इनके द्वारा ही यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा अपने हिस्से की दुरूस्ती या खातेदारी घोषणा के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है। एक सह खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार स्वयं को ही प्राप्त है न कि किसी अन्य सह खातेदार को। और इस प्रकरण में वादी ने प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के खातेदारों व हिस्से में दुरूस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

8. यह कि वादी ने प्रीएमसन एक्ट के तहत वाद में यह तथ्य अंकित किया कि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में एक दूसरे अंशधारक की सहमति एवं स्वीकृति के अन्य किसी को अंतरण करने का अधिकार नहीं है । जैसाकि वाद के बिन्दु संख्या 05 मे वादी ने यह अंकित किया कि प्रतिवादीगण बिना वादी की सहमति व स्वीकृति के अपने–अपने अंश को अन्य व्यक्तियों को बाजार मूल्य पर अंतरित करने पर उद्यत है । जिसके लिए वादी को प्रीफेन्सियल राईट होने से प्रतिवादीगण से बाजार मूल्य पर उनके अंश को क्रय करने की प्रस्थापना कर दी। इस सम्बन्ध में आपने अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादीगण अपने अंश को किन अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करना चाहते हैं कोई वर्णन अंकित नहीं किया है जबकि वादी ने अपने अधिमानी अधिकार से वंचित किए जाने हेतु दिनांक 02.09.2022 का अंकन किया है। इसी प्रकार किसी सह खातेदार को अपने अंश को किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार होता है। कृषि भूमि में प्रीएमसन एक्ट के द्वारा स्वामित्व (Ownership) हस्तान्तरण के प्रावधान है इस एक्ट के तहत खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। यदि वादी को किसी सह खातेदार को कृषि भूमि में अपने अंश को स्वयं वादी को ही विक्रय करने हेतु बाध्य किया जाना है तो इसके लिए वह सक्षम न्यायालय से अधिकार प्राप्त करे। अतएव–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण (प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 09) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार करते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज यह आदेश दिनांक 20.04.2023 को तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:47 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री हुकमीचन्द रोहलानिया (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री विजय कुमार S/o श्री चुन्नी लाल जैसवाल निवासी-स्टेशन नगर माण्डल तहसील-माण्डल [वादी]

बनाम

1. संतोष S/o श्री आनन्दी लाल जैसवाल निवासी-स्टेशन नगर माण्डल तहसील-माण्डल
2. केदारमल S/o श्री आनन्दी लाल जैसवाल निवासी-स्टेशन नगर माण्डल तहसील-माण्डल
3. आरती D/o श्री आनन्दीलाल W/o अनिल कुमार जैसवाल निवासी-कपासन त. कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
4. श्रीमती कैलाशदेवी W/o श्री आनन्दीलाल जैसवाल निवासी-स्टेशन नगर माण्डल तहसील-माण्डल
5. बनवारी लाल S/o श्री चुन्नीलाल जैसवाल निवासी-स्टेशन नगर माण्डल तहसील-माण्डल
6. श्री नरेश कुमार S/o श्री चुन्नीलाल जैसवाल निवासी-स्टेशननगर माण्डल तहसील-माण्डल
7. श्री गणेश लाल S/o श्री चुन्नीलाल जैसवाल निवासी-स्टेशननगर माण्डल तहसील-माण्डल
8. माया D/o श्री चुन्नीलाल W/o दिनेश कुमार जैसवाल निवासी-भवानीमंडी जिला-झालावाड़
9. सीता D/o श्री चुन्नीलाल W/o अभयकुमार जैसवाल निवासी सांवेर जिला-उज्जैन (म०प्र०)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92(क) 188 R.T.A मुकदमा नं0 / वर्ष 53/22 निर्णय दिनांक 20.04.23
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कराई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल वैद्य Adv. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज तारीख 20.04.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं [illegible] की मोहर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 13:45:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा